

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर



क्रमांक : मुसप्र/2024/464

दिनांक : 10/10/24

संशोधित कार्यालय आदेश

राजस्थान आवासन मण्डल की चौपासनी आवासीय योजना, जोधपुर में उच्च आय वर्ग के 180 एवं मध्यम आय वर्ग-ब के 108 फ्लैटों के लिए उद्यान अपार्टमेंट स्ववित्त पोषित पंजीकरण योजना वर्ष-2023 में खोली गई थी। इस योजना में उपलब्ध फ्लैटों के विरुद्ध पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण निरस्त की जाती है।

इस योजना में जिन आवेदकों द्वारा पंजीकरण करवाया गया है उन आवेदकों को मण्डल नियमानुसार पंजीकरण राशि लौटाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त आदेश को सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है। यह आदेश पूर्व में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 405 दिनांक 17.09.2024 के संशोधन में जारी किया गया है।

(प्रवीण कुमार अग्रवाल)
मुख्य सम्पदा प्रबंधक

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ :-

- 1- निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 2-निजी सचिव-सचिव/विन्तीय सलाहकार/निदेशक विधि/मुख्य राजस्व अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 3- मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 4- अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा0 आ0 मा0, जयपुर/जोधपुर।
- 5- अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबंधक, रा0आ0म0 जयपुर।
- 6- उप आवासन आयुक्त (मुख्यालय), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 7- उप आवासन आयुक्त, वृत्त-द्वितीय, रा0आ0म0, जोधपुर।
- 8- आवासीय अभियन्ता, खण्ड-प्रथम, रा0आ0म0, जोधपुर।
- 9- संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
- 10-प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0म0, जयपुर।
- 11-रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक
Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar
Agarwal
Designation : Chief Estate Officer
Date: 2024.10.10 12:31:44 IST
Reason: Approved

